न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा – पत्र

उनवान: दुर्गासिंह बनाम: भंवरसिंह

किस्म मुकदमा: धारा - 225 अपील संख्या: 2025/148

अभिभाषक अपीलांट: श्री रविन्द्र खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट: श्री कुंजबिहारी - नागर - R-1

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27-04-26	पत्रावली पेश हुई। आज P.O. साहब अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 05-05-26 को पेश हो। राकेश रीडर भू–प्रबध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)	05-05-26
5.5.26	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर अपील को नोटप्रेस में खारिज किये जाने का निवेदन किया। इस हेतु अभिभाषक अपीलांट द्वारा आदेशिका में 'नोटप्रेस' अंकित कर अपील आगे नही चलाने का नोट अंकित किया तथा आदेशिका में अपने हस्ताक्षर भी किये। अभिभाषक अपीलांट द्वारा नोटप्रेस किये जाने के निवेदन को स्वीकार किया जाकर पत्रावली नोटप्रेस में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	दुरगसिंह, दिपसिंह, भारतसिंह, रूपसिंह, राजेन्द्रसिंह, भैरूसिंह, Identify by, अधि. रविन्द्र खण्डेलवाल, अपील आगे नहीं चलाकर खारिज करवाना चाहते हैं। NOT Press, (रविन्द्र खण्डेलवाल) Adv.

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★ सत्यमेव जयते

राजस्थान राज
कोर्ट फीस COURT FEE
राजस्थान INDIA
दो रुपये TWO RUPEES

कैविएट संलग्न है

न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी व पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा राज0

1– दुर्गासिंह पिता चैनसिंह जाति--राजपूत निवासी–सोयला, रायपुर।

2– रूपसिंह पिता बाल सिंह जाति–राजपूत निवासी–सोयला, रायपुर।

3– बजरंगसिंह पिता कल्याणसिंह जाति–राजपूत निवासी–सोयला, रायपुर।

4– भारतसिंह पिता प्रहलादसिह जाति–राजपूत निवासी–सोयला, रायपुर।

5– नारायणसिंह पिता मोतीसिंह जाति–राजपूत निवासी–सोयला, रायपुर।

6– भैरूसिंह पिता भगवान सिंह जाति–राजपूत निवासी–सोयला, रायपुर।

7– राजेन्द्रसिंह पिता गजराज सिंह जाति–राजपूत निवासी–सोयला, रायपुर।

8– गजराज सिंह पिता शिवराजसिंह जाति– राजपूत निवासी–सोयला रायपुर।

9– दीपसिंह पिता जोधसिंज जाति–राजपूत निवासी–सोयला, रायपुर।

––अपीलान्ट

––बनाम––

1– भवंरसिंह पिता हनुमतसिह जाति–राजपूत निवासी–सोयला, रायपुर।

2– मानसिंह पिता हनुमतसिह जाति–राजपूत निवासी–सोयला, रायपुर।

3– रघुवीर सिंह पिता हनुमतसिह जाति–राजपूत निवासी–सोयला, रायपुर।

4– विक्रमसिंह पिता हनुमतसिह जाति–राजपूत निवासी–सोयला, रायपुर।

5– रेशमकुवंर पत्नी नुमत सिंह जाति–राजपूत निवासी–सोयला, जयपुर।

6– अनोखवाई पत्नी मनोहर सिंह जाति–राजपूत निवासी–सोयला रायपुर।

7– गोपालसिंह पिता मनोहरसिंह जाति–राजपूत निवासी'–सोयला जयपुर।

8– बजरंगसिंह पिता मनोहरसिंह जाति–राजपूत निवासी–सोयला रायपुर।

9– सज्जनसिंह पिता राणजीत जाति–राजपूत निवासी–सोयला तहसील लाडपुरा

10– राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार रायपुर

––रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बनाराजगी निर्णय दिनांक–07.07.2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड प्रकरण संख्या–81/2024 बउनवान दुर्गा सिंह व अन्य बनाम भंवरसिंह व अन्य

मान्यवर,

अपीलान्ट निम्न निवेदन करते है कि:–

1– यह कि निर्णय जैर अपील न्याय एवं संचिका मे सिद्वी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भलीभांति स्पष्ट था कि रेस्पो0 कम–1 लगायत 9 के नाम दर्ज वर्तमान खसरा नम्बर–344 की रकबा 0.2276 हे0 खसरा नम्बर–1045/344 की रकबा 0.1012 हे0 खसरा नम्बर–1033/344 की रकबा 0.44 हे0 आराजी वाके–ग्राम सोयला पटवार हल्का सोयला तहसील रायपुर जिला झालावाड का मूल खसरा नम्बर–344 की रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा अर्थात 0.4932 हे0 आराजी है उक्त खसरा नम्बर'–344 सेटलमेन्ट पूर्व गत खसरा नम्बर–352 मीन नम्बर से कायम किये गये है। उक्त आराजी प्रारम्भ से ही राजपूत समाज के शमशान के उपयोग उपभोग मे आ रही है किन्तु सेटलमेन्ट अधिकारीयों से मिली भगत करते हुये उक्त आराजी को केसर सिंह पिता विभन सिंह ने अपनी खातेदारी मे दर्ज करवा लिया। उक्त इन्द्राज पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है जबकि उक्त भूमि पर राजपूत समाज का शमशान है। मौके पर भी उक्त भूमि शमशान के काम मे आ रही है। मौके पर राजपूत समाज की पूर्वजो की छतरीयां भी बनी हुई है जिसके कारण रेस्पो0 को उक्त खसरा नम्बर–344 की भूमि पर राजपूत समाज के लोगो को मुर्दा जलाने से रोकने और शमशान की भूमि पर आस पास जाली बनाकर बंद